भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 818
07 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

कन्नूर में ईसीएचएस पैनलबद्ध अस्पताल

818. श्री के. सुधाकरन :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को थालास्सेरी सहकारी अस्पताल द्वारा भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के साथ अपने समझौता ज्ञापन का नवीकरण करने से इंकार करने के संबंध में कन्नूर के माननीय संसद सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस गंभीर मुद्दे, जिससे इस क्षेत्र के सैकड़ों पूर्व सैनिक प्रभावित हो रहे हैं, का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का निर्धारित समय-सीमा के भीतर पैनलबद्ध अस्पतालों को एक करोड़ से अधिक की बकाया राशि का निपटान सुनिश्चित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का ईसीएचएस/सीजीएचएस दरों को वर्तमान बाजार दरों के अनुरूप बनाने के लिए उनमें संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि पैनलबद्ध अस्पतालों की कमी के कारण सेवानिवृत्त सैनिकों को चिकित्सा उपचार के लिए अपनी जेब से भुगतान करने के लिए बाध्य न होना पड़े?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) तथा (ख): थालास्सेरी सहकारी अस्पताल के भूतपूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के साथ हुए समझौता ज्ञापन का 22.01.2025 से नवीनीकरण किया गया है और यह 21.01.2027 तक वैध रहेगा।

(ग): पैनल में शामिल अस्पतालों की बकाया राशि के भुगतान का निपटान एक सतत प्रक्रिया है। ईसीएचएस के अधीन, अस्पतालों के दावों का निपटान संबंधित क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा सक्षम वित्तीय प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद एक ऑनलाइन बिल प्रोसेसिंग पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक अस्पताल पोर्टल पर अपने दावों की स्थिति देख सकता है। जमा किये गये और सभी तरह से पूर्ण भरे हुए बिलों का भुगतान एक समयबद्ध तरीके से किया जाता है।

(घ): ईसीएचएस अस्पतालों में सेवाओं के लिए सी जी एच एस दरों का अनुसरण करता है और जब कभी सीजीएचएस की दरों में संशोधन होता है, वह भी तद्नुसार अपनी दरों में संशोधन करता है।

(ड.): पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य सेवा संगठन, जिनमें निजी अस्पताल भी शामिल है, को पैनल पर लिया गया है, ताकि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रित आसानी से पैनल में शामिल इन अस्पतालों से कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकें। ईसीएचएस योजना के पैनल में आने वाले अस्पतालों की संख्या में निम्नलिखित आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में बढ़ोतरी दर्शायी है:

स्वास्थ्य सेवा संगठन (एचसीओ)	**वर्षवार एचसीओ की संख्या**			
	वर्ष 2021	**वर्ष 2022**	**वर्ष 2023**	**वर्ष 2024**
अस्पताल	1487	1609	1736	1858
नेत्र उपचार केन्द्र	326	389	461	512
दंत चिकित्सा केन्द्र	143	162	181	206
प्रयोगशाला तथा अन्य	93	97	113	121
कुल	**2049**	**2257**	**2491**	**2697**

*****